



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक 10.04.2024

एसओजी/सर्विलांस एवं थाना माधौगढ व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 03 शातिर अभियुक्तगण को 80 लीटर स्पिट, 10 लीटर अपमिश्रित शराब, 01 कार आदि के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 10.04.2024 को एसओजी/सर्विलांस एवं थाना माधौगढ पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अन्तर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश बार्डर महाराजपुरा बैरियर पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान 01 कार से 80 लीटर स्पिट, 10 लीटर अपमिश्रित शराब, 700 ग्राम नौशादर, 14 अदद कलर डिब्बी के साथ 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना माधौगढ में अन्तर्गत धारा 60/62/72 आबकारी अधि० व 272 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि हम लोगों ने यह शराब एवं शराब बनाने का सामान कुछ दिन पहले वीर सिंह पुत्र रामकेश अहिरवार से लिया था जिसे हम लोग म०प्र० में एकान्त जगह पर छिपाकर रखे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान शराब बनाकर बिक्री करने के इरादे से ले जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड लिया।

बरामदगी का विवरण-

1. 80 लीटर स्पिट।
2. 10 लीटर अपमिश्रित शराब।
3. 700 ग्राम नौशादर।
4. 14 अदद कलर डिब्बी
5. 01 अदद कार DATSUN GO बिना नम्बर प्लेट की

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

1. पवन कुमार पुत्र गजेन्द्र सिंह तोमर निवासी ग्राम रूपापुर थाना गोहन जनपद जालौन।
2. शशिकान्त दुबे उर्फ दीपू पुत्र स्व० सुरेश चन्द्र द्विवेदी नि० रन्धीरपुर थाना कुठौन्द जनपद जालौन।
3. देवेन्द्र सिंह राजावत पुत्र अभिलाख सिंह ग्राम गोहन थाना गोहन जनपद जालौन।

अभियुक्त देवेन्द्र सिंह राजावत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 322/15 धारा 60 आव0 अधि0 थाना गोहन जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0 141/16 धारा 60 आव0 अधि0 थाना गोहन जनपद जालौन

अभियुक्त पवन कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 90/19 धारा 60 आव0 अधि0 थाना माधौगढ जनपद जालौन

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक थाना माधौगढ मय टीम
2. प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मय टीम
3. आबकारी निरीक्षक मय टीम